समाचार–प्रकाशनार्थ :–

शहर को साफ–स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक की जवाबदारी–श्री झारिया
आज 29 नवम्बर से ''धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान '' आरंभ किया जायेगा
निगम आयुक्त श्री झारिया ने अभियान को सफल बनाने हेतु ली बैठक

रतलाम 28 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों में प्रदेश के शहरो द्वारा उल्लेखनीय प्रगति किये जाने में प्रदेश के सभी नागरिक, सफाई संरक्षक, स्वच्छतागृही सामाजिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होने उनको प्रोत्साहन एवं आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए उर्जा बनाए रखने के उद्देश्य से 29 से 30 नवम्बर शासन द्वारा चलाये जा रहे ''धन्यवाद मध्यप्रदेश'' अभियान को सफल बनाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारी, कर्मचारी व स्व्च्छतागृही सामाजिक संगठना की बैठक ली।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों में मध्यप्रदेश के अन्य शहरो के साथ ही रतलाम नगर निगम ने भी अच्छी रैंकिग प्राप्त की है इसका श्रेय नगर के सभी नागरिक, सफाई संरक्षक, स्वच्छतागृही सामाजिक संगठनों को जाता है इसलिये शासन द्वारा चलाये जा रहे ''धन्यवाद मध्यप्रदेश'' अभियान के तहत उन्हे प्रोत्साहित किया जाना साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम को उच्चतम् रैंकिग प्राप्त हो इस हेतु उन्हे ऊर्जावान बनाना है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि ''धन्यवाद मध्यप्रदेश'' अभियान के तहत 29 व 30 नवम्बर को सफाई मित्रों, सहयोगी संस्थाओं और स्वच्छागृहीगणो का सम्मान समारोह और प्रशिक्षण सह धन्यवाद ज्ञापन समारोह का आयोजन, 01 व 02 दिसम्बर को घरों से कचरा संग्रहण के दौरान सभी नागरिकों का उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन, शहर में स्वच्छता एप का प्रचार–प्रसार और स्वच्छता एप के माध्यम से शिकायत समाधान, 03 व 04 दिसम्बर को सार्वजनिक क्षेत्रों में सफाई रखने के लिए नागरिकों एवं व्यापारिक संस्थानों, छोटी बड़ी सभी दुकानों आदि में नगर निगम व एनजीओ की टीम के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क और धन्यवाद ज्ञापन, शहर में स्वच्छता एप का प्रचार–प्रसार और स्वच्छता एप के माध्यम से शिकायत समाधान व 05 व 06 दिसम्बर को सार्वजनिक शौचालयों के संचालकों का उनके स्थान पर ही जाकर सम्मान व शहर में स्वच्छता एप का प्रचार–प्रसार और स्वच्छता एप के माध्यम से शिकायत समाधान करवाना है।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम अधिकारी, कर्मचारियों व स्व्च्छतागृही सामाजिक संगठना से कहा कि शासन द्वारा प्राप्त गतिविधियों का संचालन झोन अनुसार किया जाये जिससे नागरिक शहर की स्वच्छता में अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिये प्रेरित हो साथ ही सभी नागरिकों को स्वच्छता एप डाउनलोड़ करवाये व दर्ज शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करवायें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, नगर निगम की सहयोगी संस्था के सर्वश्री अनिल पांचाल, अशोक शर्मा, श्रीमती दिव्या व राजा ठाकुर उपस्थित थे।

पेंशन हितग्राहियों का आज अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड में होगा भौतिक सत्यापन

अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में 144 हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन
5168 हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

रतलाम 28 नवम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले शेष रहे हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन एम. पेंशन मित्र पोर्टल पर किये जाने हेतु झोन कार्यालयों पर शिविर आयोजित किये गये है जिसके तहत 29 नवम्बर सोमवार को अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राण्ड में शिविर आयोजित किया गया है। अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में 28 नवम्बर रविवार को आयोजित शिविर में 144 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया अब तक 5168 हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

भौतिक सत्यापन हेतु झोन कार्यालयों पर आयोजित किये गये शिविरों के तहत 29 नवम्बर सोमवार को झोन क्रमांक 2 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड में वार्ड क्रमांक 27 से 39 के हितग्राही, 30 नवम्बर मंगलवार को झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान में वार्ड क्रमांक 15, 16, 17, 18, 22, 23, 45, 46, 47, 48 व 49 के हितग्राही तथा 01 दिसम्बर बुधवार को झोन क्रमांक 4 हरमाला पम्प हाउस में वार्ड क्रमांक 19, 20, 21, 24, 25, 26, 40, 41, 42, 43 व 44 के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन प्रातः 10 से सांय 6 बजे तक किया जायेगा।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय–पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

मास्क व दो गज की दूरी को सच्चाई के साथ स्वीकार करे

स्वच्छता जागरुकता गतिविधियों के तहत आयुक्त ने बताए वैक्सीनेशन, मॉँस्क और दो गज की दूरी के महत्व ,स्वच्छ सर्वेक्षण–2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके रांगोली के माध्यम से समझाए गए

रतलाम 28 नवम्बर । देश में कोरोना के नए संक्रमण का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में 'दो गज की दूरी, मास्क भी जरूरी' स्लोगन को ही सच्चाई के साथ स्वीकार करना होगा। इसी से हम स्वयं बचेंगे और समाज के लोगों को भी रोग से बचा सकेंगे। ऐसे में लोगों को जागरूकता के साथ मास्क लगाकर बाहर निकलने की जरूरत है।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने रविवार को स्वच्छता जागरुकता के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान व्यक्त करते हुए तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया।। सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगोलियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

इस मौके पर श्री झारिया ने कहां कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के संदेश को पूरी तरह पालन कराने के लिए प्रशासन सभी को जागरूक करने जुटा है। इसके लिए मेरे सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से लेकर अन्य सरकारी कामकाज के दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य तौर पर कर रहे हैं। साथ ही दूसरों को भी इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करते हैं।

उन्होने कहां कि जिला व निगम प्रशासन सहित जिलेभर के लगभग सभी विभाग नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करने का आव्हान कर रहा है। हमे टीका लगने के बाद भी मॉँस्क, दो गज की दूरी और हाथों को बार–बार

सैनेटाईज करने की आज बेहद जरुरत है, ताकि हम अपने शहर को कोरोना के नए भयानक रुप से बचा सके।

श्री झारिया ने बताया कि एक अध्ययन में यह बताया गया है कि कोविड–19 के प्रसार को रोकने में दो गज की दूरी जरूरी है। अध्ययन में पाया है कि मास्क जैसी एहतियात के बिना छींक के दौरान निकली पानी की छोटी–छोटी बूंदें 25 फुट की दूरी तक जा सकती हैं, यहां तक कि बेहद सूक्ष्म कण मास्क से भी बाहर निकल सकते हैं। मास्क और फेस–शील्ड जैसे उपकरण प्रभावी तरीके से ऐसे लीकेज को कम करते हैं और छींक के प्रभाव को एक से तीन फुट के बीच सीमित कर सकते हैं।

बेहद सूक्ष्म कणों के लीकेज को नहीं रोक सकते। इसलिए दो गज की दूरी के नियम का पालन महत्वपूर्ण है। इसी अध्ययन में कहा गया है कि मास्क और फेस–शील्ड लगाने के बावजूद छींकने के वक्त नाक को हाथ यह कोहनी से ढंकें ताकि अति सूक्ष्म बूंदें लीक होने से बचें।

श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग–अलग हिस्सों में ही करे। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरुकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर–1 बना पाएगे, इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी शत प्रतिशत टीके लगवा कर रतलाम का गौरव बढ़ाए।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलकी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

28 नवम्बर को 38 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 28 नवम्बर । निगम आय्क्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 28 नवम्बर रविवार को 38 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

28 नवम्बर रविवार को डम्पर से 8805, ट्रेक्टर से 8810, काम्पेक्टर सूखा कचरा 10245 व काम्पेक्टर गीला कचरा 1030 किलो इस तरह कुल 38790 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2285 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 78 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 28 नवम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2190 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 95 हितग्राहियों को

राशि रूपये 20,000/— ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 75 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 28 नवम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 28 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने

निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वाड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 28.11.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.